न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

2/1

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 20/2017

1. ओमप्रकाश पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी निमला हाल आबाद रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी स्व0 हरलाल जाति जाट निवासी निमला हाल आबाद रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।
3. अनिल कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़।
4. सन्तोष
5. विधादेवी
6. कमला देवी
7. मंजुदेवी
8. जैसादेवी

(क्रम 4 से 8) पुत्रीया हरलाल जाति जाट निवास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

9. राजस्थान स्टेट जरिये नायब तहसीलदार (राजस्व) खुईयां तहसील नोहर।

–रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध नामान्तरण स0 1023 दिनांक 15.07.2015 रोह मौजा निमला

निर्णय **दिनांक : 19.03.2021**

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अपीलांट की रोही मौजा निमला के साबिका ख0न0 187 की 102 बीघा कृषि भूमि थी जो अपीलान्ट की कृषि भूमि तथा उसके कब्जा काश्त की थी जिसके हाल ख0न0 294 की 43 बीघा 14 बिस्वा व ख0न0 302 की 47 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 718/302 की 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी कुल 58 बीघा 02 बिस्वा शेष बची है उक्त भूमि बाबत एक वाद मृतक हरलाल के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पेश किया एक फर्जी डिकी दिनांक 15.11.1988 को डिकी करवा लिया तथा उक्त डिकी कभी भी कोई अमल दरामद नही हुआ तथा खाता में दिनांक 29.09.14 को एस.डी.एम. न्यायालय का एक अंकन दर्ज किया तथा विरसतन दर्ज कर दिया उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा सम्भागीय आयुक्त बीकानेर में उक्त आदेश की निगरानी जैरकार है रेस्पो0 स0 2 के द्वारा उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में एक वाद पेश

Web Copy Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

किया जिसमें दिनांक 10.01.2014 को पेश कर स्थगन जारी करवा लिया जो वाद सुनवाई के बिना 20.03.2014 को बाद सुनवाई खारीज कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के नाम से ही दर्ज चली आ रही थी। इसी दरमयान वादग्रस्त भूमि जिसका अपीलान्ट को पता ही नही चला मृतक हरलाल के नाम से दर्ज कर दी तथा अब बिना किसी के आदेश के दिनांक 15.07.15 को विरासतन दर्ज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील अपीलांट निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है–

(1) अपीलाधीन नामान्तरकरण कतई गलत व विधि विरूद्ध दर्ज किया है जो काबिले खारीजी के है। रेस्पो0 स0 1 ता 7 को यह भली भांति ज्ञान थ कि वादग्रस्त भूमि के बाबत भिन्न–भिन्न न्यायालयों में अपील जैरकार है तथा पूर्व में ही डिक्री की अपील थी जैरकार है तथा रेस्पो0 स0 2 के द्वारा सन 2014 में एक वाद भी पेश किया तथा स्थगन लिया ऐसी सूरत में आने नाम से विरस्तान दर्ज करवा के गलती कारित की है, तथा उक्त नामान्तरकरण कतई गलत व विधि के विरूद्ध है तथा काबिल खारीजी के है।

(2) रजि0 हकदारान में अपीलान्ट के नाम से कृषि भूमि दर्ज है तथा बिना किसी के आदेश के नामान्तरकण तस्दीक किया है जबकि स्थगन आदेश का अंकन भी दर्ज है बावजूद इसके नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा काबिल खारीजी के है।

(3) रेस्पो0 स0 2 ने न्यायालय हाजा में एक अपील स्टेट के विरूद्ध प्रस्तुत की थी तथा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये नामान्तरकरण दर्ज करवाने के आदेश पारित करवा लिये जिसका अपीलांट ने सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के यहा ओमप्रकाश बनाम विनोद 46/17 जैरकार है बावजूद इसके नामान्तरकरण स0 1023 पुनः विरास्तान दर्ज करवा लिया जबकि पूर्व में विनोद कुमार के द्वारा अपील पेश की तथा नामान्तरकरण सं0 358 मृतक हरलाल के नाम से दर्ज करवा लिया तथा अब अपने नाम से विरास्तान दर्ज करवा लिया जबकि पूर्व में विनोद कुमार के द्वारा अपील पेश की तथा नामान्तरकरण स0 358 मृतक हरलाल के नाम से दर्ज करवा लिया तथा अब अपने नाम से विरास्तान दर्ज करवा लिया। उक्त सब कार्यवाही गुपचुप तरीके से करवाई गयी है जो विधि के मुलभुत सिद्धान्तों के विपरित है तथा काबिले खारीजी के है।

(4) अपीलांट के द्वारा भिन्न–भिन्न न्यायालयों में जारी अपील का नायब तहसीलदार खुईयां व पटवारी हल्का के समक्ष पेश किये हुये थे बावजूद इसके उक्त नामान्तरण दर्ज कर तस्दी किया गया है जो काबिल खारीजी के है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(5) मृतक हरलाल के द्वारा सन् 1988 में जो अपने पक्ष मे डिक्री पारित करवाई थी उक्त निर्णय के विरूद्ध भी अपीलांट के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के यहा पेश कर रखी है जो जैरकार है जिसमें रेस्पो0 स0 2 दिनांक 07.12.2015 को उपस्थित है।

(6) अपीलांट के द्वारा ऋण भी ले रखा है जिसका अंकन भी हटा लिया गया है ऐसी सुरत में भी नामान्तरकण विरास्तान दर्ज नहीं किया जा सकता है।

2. उक्त नामान्तरकरण दिनांक 15.07.15 को स्वीकृत करवाया गया है चुंकि अपीलांट के द्वारा ूर्व में पारित निर्णयों की अपीले संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है जिसकी नकलें भी तहसील में पेश कर रखी है जिस कारण से अपीलांट के द्वारा को नकल नही ली अब दिनांक 10.05.17 को अपीलांट के नाम से लिया गया ऋण बाबत जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के लिए मिला तो मालुम हुआ की वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकण विरास्तान दर्ज कर दिया गया है जिसकी नकल अपीलांट के द्वारा दिनां 12.05.2017 को प्राप्त की तथा बीच में 2 दिन का राजकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 15.05.2017 कागजात प्राप्त करके बिना किसी देरी के अपील हाजा प्रस्तुत कर रहा है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण स0 1023 रोही मौजा निमला तहसील नोहर दिनांक 15.07.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया की अपील को आगे नही चलाना चाहते है अपील खारीज फरमावे।

अतः अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर अपील अपीलांट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)